राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0) उ0प्र0
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
7/23, सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार, निकट डायल 100, गोमती नगर, लखनऊ–226002
e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक– 16 /241/NULM/तीन/2001(SM&ID)-CLC- शिकोहाबाद दिनांक– 11-5-2020

सेवा में,

1. **जिलाधिकारी/अध्यक्ष,**
   जिला नगरीय विकास अभिकरण,
   फिरोजाबाद, उ0प्र0।
2. **सिटी प्रोजेक्ट आफिसर/परियोजना निदेशक,**
   शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, डूडा
   फिरोजाबाद, उ0प्र0।

विषयः– **दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के अन्तर्गत शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) शिकोहाबाद की आगामी द्वितीय किश्त अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक परियोजना अधिकारी, डूडा, फिरोजाबाद के पत्र सं0–7845/श0आ0के0/2019–20 दिनांक 26.02.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो शिकोहाबाद हेतु स्वीकृत शहरी आजीविका केन्द्र की द्वितीय किश्त अवमुक्त हेतु अनुरोध के संबंध में है।

उक्त पत्र के माध्यम से शहरी आजीविका केन्द्र, शिकोहाबाद के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रेषित अनुपालन आख्या के अनुक्रम में स्वीकृत एवं संचालित 01 सी0एल0सी0 की द्वितीय किश्त 40 प्रतिशत की धनराशि दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे लिखी शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ अवमुक्त किया जाता हैः–

क्र0 सं0	शहरी आजीविका केन्द्र का नाम	प्रावधानित एवं स्वीकृत धनराशि	प्रथम किश्त की अवमुक्त की गई धनराशि	प्रथम किश्त की अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष उपयोग की गयी धनराशि	द्वितीय किश्त की अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	शहरी आजीविका केन्द्र, शिकोहाबाद	10.00	3.00	3.00	4.00

- सी0एल0सी0 हेतु स्वीकृत धनराशि के उपभोग से पूर्व सी0एल0सी0 को आत्मनिर्भर बनाना अपरिहार्य होगा।
- स्वीकृत के समय दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सी0एल0सी0 के व्यय हेतु किये गये प्राविधान के अनुरूप व्यय किया जाय तथा उक्त का परीक्षण भी नियमानुसार सी0एम0एम0यू0, डूडा द्वारा किया जायेगा। सी0एल0सी0 में प्रारम्भ में 02 से अधिक मानव संसाधन रखने पर उसका व्यय सम्बिन्धित संस्था को अपने स्रोतों से व्यय करना होगा। सी0एम0एम0यू0, डूडा द्वारा किये गये प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
- सी0एल0सी0 द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं के सापेक्ष बाजार के अनुरुप निर्धारित दरों की बुकलेट भी तैयार करायी जाये, जिसमें समय–समय पर सम्बद्ध किये जाने वाले कामगारों के ट्रेड एवं बाजार के अनुरुप परिवर्तित दरों को अपडेट किया जायेगा।
- आत्मनिर्भरता के सिद्धान्त पर सी0एल0सी0 संचालन हेतु प्रस्तुत आय व्यय के आधार व्यवहारिक एवं बढ़ोत्तरी हेतु कार्य योजना तैयार कर सी0एल0सी0 संचालित किया जाये एवं तदनुसार नियमित अनुश्रवण भी कराया जाये।

- सी0एल0सी0 का व्यापक प्रचार–प्रसार कराकर पंजीकृत कामगारों को रोजगार से सम्बद्ध किया जाये। कामगारों के साथ समय–समय पर बैठक कर सी0एल0सी0 गतिविधियों की जानकारी दी जाये।
- कामगारों में सी0एल0सी0 के प्रति विश्वास एवं अपनापन विकसित किये जाने हेतु कामगारों की समय–समय पर विधिवत बैठक कर कार्यवृत्त तैयार किया जाये।
- कामगारों का पंजीकरण करने के उपरान्त उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाना है, जिसके लिए आवश्यक है कि सकारात्मक प्रयास कर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से कार्य किया जाये।
- सी0एल0सी0 को विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी विभागों द्वारा आउटसोर्स वाले कार्य मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं0–374/2016/771/.69–1–2016– 14(56)/2016 दिनांक 20.05.2016 के अनुक्रम में समन्वयन के माध्यम से दिलाया जाये ताकि सी0एल0सी0 शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध करा सके।
- सी0एल0सी0 को आत्मनिर्भर/वाइबिल बनाने हेतु नगरीय निकाय एवं अन्य सरकारी विभागों से बेहतर समन्वय के माध्यम से कतिपय कार्य जैसे पार्को का मेटीनेंस, सफाई कार्य, डाटा इन्ट्री आदि कार्य लिया जाये।
- सी0एल0सी0 में आय सृजनात्मक कार्यों से सम्बद्ध स्वयं सहायता समूहों का पंजीकरण किया जाये तथा सी0एल0सी0 समूहों को बेहतर उत्पादन में तकनीकी सहयोग करते हुए समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों का विपणन भी कराना सुनिश्चित करें।
- सी0एल0सी0 को जेम पोर्टल पर रजिस्टर्ड करके विभिन्न सेवायें प्रदान की जाये। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन हेतु सी0एल0सी0 अमेजन फिलिप कार्ट आदि से सम्बद्ध होकर ऑनलाइन बिक्री भी कराना सुनिश्चित करें।
- सी0एल0सी0 स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किये गये बिजनेस प्लान के अन्तर्गत दर्शित उपलब्धियों को पूर्ण किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित जनपदीय अधिकारी का होगा।
- सी0एल0सी0 का बैंक में अलग से खोले गये खाते से लेन–देन बैंक खाते के माध्यम से ही किया जाये।

अतः शिकोहाबाद हेतु स्वीकृत सी0एल0सी0 का संचालन उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में कराते हुए सघन मानीटरिंग की जाये ताकि सरकारी धन का उपयोग योजना के उद्दश्यों की पूर्ति के परिपेक्ष्य में किये जाने तथा समुचित कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, फिरोजाबाद उ0प्र0।
2. सहायक वेबमास्टर, सूडा उ0प्र0 को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक

185

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार (निकट डायल 100), लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

पत्रांकः 40/76/एक/2019–20 दिनांकः 14/05/2020

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–फिरोजाबाद।

विषय– **वित्तीय वर्ष 2020–21 में दीनदयाल अन्त्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे–एनयूएलएम) के अन्तर्गत धनराशि का प्रेषण।**

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2020–21 में दीनदयाल अन्त्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे–एनयूएलएम) के उपघटक शहरी बेघरों के लिये आश्रय योजना (एसयूएच) में निम्न विवरणानुसार आपके जनपद का संचालित निम्न बचत खाते में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से धनराशि अन्तरित की जा रही है:–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. सं.	जनपद का नाम	प्राविधानित एवं स्वीकृत धनराशि	पूर्व में प्रेषित धनराशि प्रथम किश्त	अवमुक्त हेतु द्वितीय किश्त	बैंक का नाम/ खाता संख्या
01	फिरोजाबाद/शिकोहाबाद	10.00	3.00	4.00	विजया बैंक 711701011003222
	(रू0 चार लाख मात्र)				

जारी 14/05/2020

1–उक्त धनराशि का प्रयोग केवल उसी मद में किया जायेगा जिस मद में धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

2–धनराशि का नियमानुसार उपयोग किये जाने के उपरान्त अभिकरण को निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3–डे–एनयूएलएम योजना के उपघटकों हेतु जारी दिशा–निर्देश एवं कार्यवृत्त में उल्लखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

13-05-2020
(वित्त नियन्त्रक)
सूडा

13/5/2020
(निदेशक)
सूडा

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि–

1– परियोजना निदेशक/परि0 अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण सम्बन्धित जनपद को सूचनार्थ प्रेषित।

2– परियोजना अधिकारी, डे–एनयूएलएम–सूडा।

3– वेबमास्टर, सूडा/कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

13-05-2020
(वित्त नियन्त्रक)
सूडा